रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1719] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941
No. 1719] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2019

का.आ. 1924(अ).—पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पुडूचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण, पुडूचेरी कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1. डॉ. जी. श्रीनिवासन — अध्यक्ष;
 आचार्य और अध्यक्ष, रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग, पुडूचेरी इंजीनियरिंग कालेज, पुडूचेरी – 605014
2. डॉ. टी. गणेसन — सदस्य;
 सह आचार्य और अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, के.एम. सेंटर फार पी.जी. स्टडीज़, पुडूचेरी – 605008
3. निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, पुडूचेरी — सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, पुडूचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, पुडूचेरी इस आदेश के पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति पुडूचेरी की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, पुडूचेरी की सहायता करने के लिए पुडूचेरी सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1.	डॉ. बी. कुमारन सह आचार्य और प्राचार्य, इंदिरा गांधी कालेज आफ आर्ट्स एंड साइंस, कादिरकामन, पुडूचेरी – 605009	अध्यक्ष;
2.	डॉ. एस. गोविन्दारादजाने आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग, पुडूचेरी इंजीनियरिंग कालेज, पुडूचेरी	सदस्य;
3.	डॉ. एस. रामकुमार संकाय अध्यक्ष, राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ वेटरीनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडूचेरी – 605008	सदस्य
4.	डॉ. ए. योगामूर्ति, आचार्य (सेवानिवृत्त) 6, दूसरा क्रास अरविन्द्रनगर, रेड्डीयारपलायम, पुडूचेरी – 605010	सदस्य;
5.	सुश्री एस. उषा सहायक आचार्य, रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग, पुडूचेरी इंजीनियरिंग कालेज, पिल्लैचावदी, पुडूचेरी	सदस्य;
6.	डॉ. के.एम. गोपीनाथन सह आचार्य, प्राणी विज्ञान विभाग, एम.जी. गर्वमेंट आर्ट्स कालेज, माहे-673311	सदस्य;
7.	डॉ. के. सम्बानदन सहायक आचार्य, पौधा विज्ञान विभाग, अरीगनार अन्ना गर्वमेंट आर्ट्स एंड साइंस कालेज, करियाकल-609605	सदस्य;
8.	डॉ. कवितावासुदेवन पी. सह आचार्य, समुदाय चिकित्सा विभाग, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, वाजहावुर रोड, केठिर्कामम, पांडिचेरी – 605009	सदस्य;
9.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुडूचेरी सरकार ।	सचिव ।

IndiaCode

6. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्य इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडूचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडूचेरी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. पुडूचेरी राज्य सरकार, प्राधिकरण पुडूचेरी और राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडूचेरी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता पुडूचेरी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.स. जे-11013/51/2007-आई.ए.II(I)]

अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2019

S.O. 1924(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Puducherry (hereinafter referred to as the Authority, Puducherry) comprising of the following Members, namely: -

(1)	Dr. G. Srinivasan Professor and Head, Department of Chemical Engineering, Pondicherry Engineering College, Pondicherry – 605014.	-	Chairman;
(2)	Dr. T. Ganesan Associate Professor and Head, Department of Botany, K. M. Centre for P.G. Studies, Puducherry – 605008.	-	Member;
(3)	Director, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry.	-	Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Puducherry shallbase its decision onthe recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry constituted under paragraph 5 of this order.

5. For the purposes of assisting the Authority,Puducherry, the Central Government, in consultation with the Government of Puducherry, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherrycomprising of the following Members, namely :-

(1)	Dr. B. Kumaran Associate Professor and Principal, Indira Gandhi College of Arts and Science, Kadirkaman, Puducherry – 605009.	-	Chairman;

(2)	Dr. S. Govindaradjane Professor, Civil Engineering, Pondicherry Engineering College, Puducherry.	-	Member;
(3)	Dr. S. Ramkumar Dean, Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research, Puducherry – 605009.	-	Member;
(4)	Dr. A. Yogamoorthi, Professor (Retd.), 6, Second Cross Aravindarnagar, Reddiyarpalayam, Pondicherry – 605010.	-	Member;
(5)	Mrs. S. Usha Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Pondicherry Engineering College, Pillaichavady, Puducherry.	-	Member;
(6)	Dr. K. M. Gopinathan Associate Professor, Department of Zoology, M. G. Govt. Arts College, Mahe – 673311.	-	Member;
(7)	Dr. K. Sambandan Assistant Professor, Department of plant Science, Arignar Anna Government Arts and Science College, Karaikal – 609605.	-	Member;
(8)	Dr. KavitaVasudevan P. Associate Professor, Department of Community Medicine, Indira Gandhi Medical College and Research Institute, Vazhavur Road, Kathirkamam, Pondicherry – 605009.	-	Member;
(9)	Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry.	-	Secretary.

6. The Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of Puducherry shall notify an agency to act as the Secretariat for the Authority, Puducherry and the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Puducherry and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall be paid in accordance with the relevant rules of the Government of Puducherry.

[F. No. J-11013/51/2007-IA-II(I)]
ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.06.08 15:46:53 +05'30'